दिनांक	हुक्म या कार्यवाही इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
…/17	बमुताबिक [illegible] 350/ पत्रावली [illegible] तलबी दिनांक 10/3/17 को पेश हो/ [illegible]	
10.3.17	आज पत्रावली पेश हुई/ P.O. साहब दौरे पर हैं/ पत्रावली दिनांक 20-4-17 को पेश हो/ [illegible]	
20/6/17 20/6/17	आज पत्रावली जनरल श्रेणी से [illegible] लोक अदालत राजस्व आपके द्वार 2017 [illegible] [illegible] कैम्प [illegible] में पेश हुई [illegible] के [illegible] इस प्रकार है कि निर्णय पृथक से [illegible] जारी [illegible] किया गया/ [illegible signature] उपखण्डाधिकारी बसेडी (धौलपुर) राज०	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी जिला – धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री जयसिंह (आर0ए0एस0)

उनवान

सूकासिंह बनाम जागनसिंह वगै0

1. सूकासिंह
2. रनवीरसिंह
3. रामूसिंह
   } पुत्रगण टीकमसिंह
4. ममतादेवी
5. रीनादेवी
   } पुत्रीगण टीकमसिंह

} जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम रैवियापुरा मजरा रतनपुर तह0 बसेडी जिला धौलपुर

वादीगण :–

बनाम

1. जागनसिंह उर्फ जगनसिंह पुत्रगण फूलसिंह जाति ठाकुर निवासी रैवियापुरा बसेडी
2. बैजनाथ
3. जगदीश
4. मनीराम
5. केशव
   } पुत्रगण रामेश्वरसिंह
6. धर्मजीतसिंह पुत्र प्यारेलाल
7. लालसिंह पुत्र कल्ला
8. राजेन्द्रसिंह पुत्र आदिराम
9. जण्डेलसिंह पुत्र सूरतराम
10. भूरीसिंह पुत्र सेवाराम
11. रामवीरसिंह पुत्र मूलासिंह
12. रामहरि
13. बनवारी
14. श्यामवीर
15. रमेशसिंह
16. सुरेशसिंह
    } पुत्रगण मूलासिंह
17. महेन्द्रसिंह
18. एदलसिंह
    } पुत्रगण लालसिंह
19. भूपसिंह
20. पृथ्वीराज
21. मिठू
    } पुत्रगण नामालूम
22. दलेल पुत्र हरनाम
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी

} जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम रैवियापुरा मजरा रतनपुर तह0 बसेडी जिला धौलपुर

प्रतिवादीगण :--

उपखण्डाधिकारी
बसेडी (धौलपुर) राज0

उपस्थित वादीगण के वकील – श्री सुखरामसिंह परमार एड0
उपस्थिति प्रति0 के वकील – श्री राजबहादुर सिंह परमार एड0

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 रा0का0 अधि0

दावा सं. 62/2013 दिनांक :– 20.06.2017

निर्णय

वादीगण द्वारा उक्त उनवान का दावा इस प्रकार प्रस्तुत किया कि :–
विवादित आराजीयात रैवियापुरा (रतनपुर) तह0 बसेडी में स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

परिशिष्ठ 'क'

खसरा नम्बर हाल	खसरा नम्बर गत
1446/0.1800	874/0–14
1691/0.1500	953/0–12

कुल किता 2 कुल रकवा 0.3300 हैक्टेयर

परिशिष्ठ 'ख'

खसरा नम्बर हाल	खसरा नम्बर गत
741/0.2300	981/0–11
1602/0.2800	1383/1–02
1710/0.1400	1422/0–18

कुल किता 3 कुल रकवा 0.6500 हैक्टेयर

परिशिष्ठ 'ग'

खसरा नम्बर हाल	खसरा नम्बर गत
1607/0.0400	1362/1–13
1608/0.0400	
1609/0.0400	
1610/0.0900	
1611/0.0400	
1612/0.0400	
1613/0.0400	
1614/0.0400	
1615/0.0500	

कुल किता 9 कुल रकवा 0.4200 हैक्टेयर

परिशिष्ठ 'घ'

खसरा नम्बर हाल	खसरा नम्बर गत
1573/0.0300	1427/0–03

कुल किता 1 कुल रकवा 0.0300 हैक्टेयर

परिशिष्ठ 'ड़'

खसरा नम्बर हाल	खसरा नम्बर गत
946/2–02	

उपखण्डाधिकारी
बसेडी (धौलपुर) राज0

आधिकार उसके परिवार
पर

1347/2–00

कुल किता 2 कुल रकवा 4–02 विस्वा
मद सं0 2 में सिजरा फरीकेन प्रस्तुत किया। विवादित आराजीयात परिशिष्ठ 'क' व 'ख' के खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रति0 सं0 1 के पूर्वज अर्थात जयसिंह थे। जयसिंह के बाद बुद्धी उर्फ बुद्धा हुए एवं बुद्धी उर्फ बुद्धा के बाद फूलसिंह, काशीराम, खूबसिंह, लोचनसिंह हुए। काशीराम, खूबसिंह, लोचनसिंह का देहान्त लाऔलाद फौत होने पर उनका सम्पूर्ण हिस्सा फूलसिंह पर प्रकान्त हुआ तथा फूलसिंह के बाद उनके पुत्र जागनसिंह व टीकमसिंह पर प्रकान्त हुआ। दोनों ही भाई बराबर बराबर हिस्सा 1/2 भाग 1/2 भाग के काबिज खातेदार काश्तकार हुए। टीकमसिंह का देहान्त हो चुका है। उसके कायम मुकाम व वारिसान वादीगण है। जो काबिज आराजी है। इसी प्रकार परिशिष्ठ 'ग' के रामेश्वर पुत्र कीरतसिंह, धर्मजीत पुत्र प्यारेलाल, लालसिंह पुत्र कल्ला, आदिराम पुत्र कल्ला, जण्डेलसिंह पुत्र सूरतराम, भूरीसिंह पुत्र सेवाराम, जागमसिंह व टीकमसिंह पुत्र फूलसिंह, दलेल पुत्र हरनाम तथा रामवीर, रामहरि, बनवारी, श्यामवीर, रमेश, सुरेश पुत्रगण मूलासिंह 1/8 1/8 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार थे। जिनमें से रामेश्वर का देहान्त हो गया उसके कायम मुकाम प्रति0 2 लगा0 5 हुए तथा आदिराम का भी देहान्त हो चुका है। जिसका वारिसान प्रति0 सं0 8 है। टीकमसिंह का भी देहान्त हो चुका है। जिसके वारिसान वादीगण है। उक्त परिशिष्ठ में वादीगण 1/16 व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 1/16 के खातेदार है। परिशिष्ठ 'घ' के खातेदार काश्तकार महेन्द्रसिंह व एदलसिंह पुत्रगण लालसिंह हिस्सा 1/2 व जागमसिंह व टीकमसिंह पुत्र फूलसिंह हिस्सा 1/2 थे। टीकमसिंह का देहान्त हो चुका है। उसके वारिसान वादीगण सं0 1 लगा0 5 है। जिन्होंने मुताबिक हिस्सा 1/4 विरासतन प्राप्त किया है। 1/4 भाग जागनसिंह उर्फ जगनसिंह का है। परिशिष्ट 'ड़' के खातेदार काश्तकार धर्मजीत पुत्र प्यारेलाल, कीरतसिंह पुत्र चिरोंजी, पृथ्वीराज, सूरतराम, मिठू तथा जागनसिंह व टीकमसिंह पुत्रगण फूलसिंह थे। कीरतसिंह का देहान्त हो चुका है। उसके वारिसान रामेश्वर हुए। उनका भी देहान्त हो चुका है। उसके वारिसान प्रति0 सं0 2 लगा0 5 हुए। सूरतराम का भी देहान्त हो चुका है। उसका वारिसान 9 है तथा टीकमसिंह का भी देहान्त हो चुका है। उसके वारिसान वादीगण है। जिन्होने 1/14 विरासतन प्राप्त किया है तथा जागनसिंह भी 1/14 भाग का खातेदार काश्तकार है। यहां विवाद जयसिंह व उसके परिवारीजन बुद्धा उर्फ बुद्धी तथा फूलसिंह की आराजीयात का है। अन्य प्रति0 के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। विवादित आराजीयात पर फूलसिंह का हिस्सा था। जो उसके दोनों पुत्रों जागनसिंह उर्फ जगनसिंह व टीकमसिंह पर बराबर बराबर आनी चाहिये थी। परन्तु भूलवश उक्त आराजी अकेले जागनसिंह के नाम चढा दी गई। जो गलत व गैर कानूनी है। विधि विरुद्ध है। अब जागनसिंह उर्फ जगनसिंह उक्त गलत इनद्राज की आड में वादीगण की आराजी को हडपने पर आमादा है। मद सं0 7 में पक्षकारान के हिस्से अंकित किये गये है। विवादित आराजीयात का अभी विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण व प्रति0 संयुक्त से मुताबिक हिस्सा काश्त कर रहे है। परन्तु विगत 6–7 माह से प्रति0 वादीगण के साथ संयुक्त काश्त व लेनदेन पर विवाद करने लगे है। जब वादीगण ने प्रति0 से बंटवारा करने की कहा तो प्रति0 सं0 1 ने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया तथा धमकी दी कि वादीगण का कोई भाग नहीं है। प्रति0 सं0 1 द्वारा वादीगण के हकूकों से इंकारी होकर वादीगण को बेदखल

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज0

करने व आइन्दा काश्त न करने देने तथा विवादित आराजी को अंतरित करने की धमकी दी। जब वादीगण ने राजस्व रिकार्ड की नकलें ली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि फूलसिंह की मृत्यु के बाद विवादित आराजी पर उसके सम्पूर्ण भाग पर जागनसिंह उर्फ जगनसिंह ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अकेले अपने नाम का अंकन करा लिया तथा टीकमसिंह का नाम नहीं चढने दिया। इस प्रकार बन्दोबस्त व राजस्व कर्मचारियों को टीकमसिंह का नाम हटाने का कोई अधिकार नहीं था।

इस प्रकार दावा प्रस्तुत कर वादीगण ने निवेदन किया कि :–

यह घोषित किया जावे कि विवादित आराजीयात गत 874/0–14, 953/0–12, 981/0–11, 1383/1–02, 1422/0–18, 1362/1–13, 1427/0–03 हाल ख0नं0 1446/0.1800, 1691/0.1500, 741/0.2300, 1602/0.2800, 1710/0.1400, , 1607/0.0400, 1608/0.0400, 1609/0.0400, 1610/0.0900, 1611/0.0400, 1612/0.0400, 1613/0.0400, 1614/0.0400, 1615/0.0500, 1573/0.0300, 946/2–02, 1347/2–00 बांके ग्राम रैवियापुरा (रतनपुर) तह0 बसेडी जिला धौलपुर में वादीगण 1/2, 1/2, 1/16, 1/4, 1/14 भाग के खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजीयात का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादीगण के हिस्से की आराजी का खाता व लगान अलग कायम किया जावे तथा उस पर वादीगण का एकांतिक आधिपत्य कराया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वह वादीगण के मुताबिक हिस्से की आराजी पर वादीगण के कब्जें काश्त में कोई हस्तक्षेप न करें। ना रहन वय मुन्तकिल करें। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। राजस्व रिकार्ड में तदनुसार दुरूस्ती की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 सं0 1, 3, 5, 8, 11, 14, 15, 23 वावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित आये। अतः उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति0 सं0 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के साथ हुए राजीनामा को प्रस्तुत किया। जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

तत्पश्चात राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प रतनपुर रखी गई। जहां वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें वादीगण ने अंकित किया कि वादीगण न तो प्रति0 सं0 2 लगा0 22 के खिलाफ दावा करना चाहता है और ना ही दावा लडना चाहता है। उक्त प्रति0 सं0 2 लगा0 22 सहखातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है। उनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादीगण अभी बंटवारे का रिलीफ भी नहीं चाह रहे है। दावा मात्र प्रति0 सं0 1 के खिलाफ है जो पूर्व में ही राजीनामा प्रस्तुत कर चुका है। अतः दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं राजीनामा का अवलोकन किया। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेजात से यह तो स्पष्ट है कि जो तथ्य वादीगण ने अपने दावा में अंकित किये है, वह सही है। दस्तावेजात के मुताबिक प्रश्नगत आराजी के पूर्व खातेदार फूलसिंह थे। जिनके वारिसान टीकमसिंह व जागनसिंह है तथा टीकमसिंह के वारिसान वादीगण है। इस प्रकार वादीगण प्रश्नगत आराजी में वादीगण मुताबिक अंकित हिस्से के खातेदार काश्तकार है। इसके अलावा प्रति0 सं0 1 ने न्यायालय में उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
बसेडी (धौलपुर) राज0

होकर पूर्व में राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक प्रार्थना वादीगण का दावा डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। वादीगण एवं प्रति0 द्वारा राजीनामा लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत किया है। उक्त राजीनामा के आधार पर वादीगण का दावा डिक्री किये जाने से प्रति0 सं0 2 लगा0 22 के हकूकों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड रहा है। अतः मुताबिक राजीनामा वादीगण का दावा स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः दावा वादीगण वरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी परिशिष्ठ 'क' 1446/0.1800, 1691/0.1500 में वादीगण 1/2 भाग के व प्रति0 सं0 1 1/2 भाग के तथा परिशिष्ठ 'ख' के खसरा नम्बर 741/0.2300, 1602/0.2800, 1710/0.1400 में वादीगण 1/2 भाग के व प्रति0 सं0 1 1/2 भाग के तथा परिशिष्ठ 'ग' के खसरा नम्बर 1607/0.0400, 1608/0.0400, 1609/0.0400, 1610/0.0900, 1611/0.0400, 1612/0.0400, 1613/0.0400, 1614/0.0400, 1615/0.0500 में वादीगण 1/16 भाग के व प्रति0 सं0 1 1/16 भाग के तथा शेष भाग के शेष प्रति0 मुताबिक हिस्सा तथा परिशिष्ठ 'घ' खसरा नम्बर 1573/0.0300 में वादीगण 1/4 भाग के व प्रति0 सं0 1 1/4 भाग के तथा शेष भाग के शेष प्रति0 मुताबिक हिस्सा तथा परिशिष्ठ 'ड़' के खसरा नम्बर 946/2–02, 1347/2–00 में वादीगण 1/14 भाग के व प्रति0 सं0 1 1/14 भाग के तथा शेष भाग के शेष प्रति0 मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में प्रति0 सं0 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजद कर उक्तानुसार वादीगण व प्रति0 के नाम का अंकन किया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा न करें। खर्चा मुकदमा फरीकेन स्वंय वहन करें। राजीनामा डिक्री का जुज रहेगा। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर कोर्ट कैम्प रतनपुर में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
बसेडी (धौलपुर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
बसेडी